रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 63] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 19, 2008/माघ 30, 1929
No. 63] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 19, 2008/MAGHA 30, 1929

विद्युत मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, 19 फरवरी, 2008

फा. सं. 23/26/2003-आर एण्ड आर.–विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 166 की उप-धारा (1) यह व्यवस्था करती है कि केन्द्र सरकार, देश में विद्युत प्रणाली के प्रवाहपूर्ण और समन्वित विकास हेतु एक समन्वय फोरम गठित करेगी ।

(2) उक्त प्रावधान के अनुसरण में, भारत सरकार, एतद्द्वारा, सदस्यों के रूप में निम्नलिखित के साथ समन्वय फोरम गठित करती है :

(i) अध्यक्ष, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग	– अध्यक्ष
(ii) अध्यक्ष, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण	– सदस्य
(iii) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग के सभी सदस्य	– सदस्य
(iv) विद्युत के थर्मल उत्पादन में शामिल केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सीपीएसयू) का प्रतिनिधि–जिन्हें एक वर्ष के लिए विद्युत मंत्रालय द्वारा नामित किया जाना है ।	– सदस्य
(v) जल विद्युत के उत्पादन में शामिल सी पी एस यू के प्रति-निधि–जिन्हें एक वर्ष के लिए विद्युत मंत्रालय द्वारा नामित किया जाना है ।	– सदस्य
(vi) उत्पादन कम्पनी (जो कि केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा स्वामित्व प्राप्त/नियंत्रित न हों) जिसके पास वर्तमान में 500 मे.वा. से अधिक की क्षमता हो अथवा थर्मल उत्पादन स्टेशन हो स्थापना की प्रक्रिया में हो, का एक प्रतिनिधि–जिसे वर्णक्रम में उन कम्पनियों में से एक वर्ष के लिए विद्युत मंत्रालय द्वारा नामित किया जाना है ।	– सदस्य
(vii) उत्पादन कम्पनी (जो कि केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा स्वामित्व प्राप्त/नियंत्रित न हों) जिसके पास वर्तमान में 250 मे.वा. से अधिक की क्षमता हो अथवा जल विद्युत उत्पादन	– सदस्य

स्टेशन स्थापना की प्रक्रिया में हो, का एक प्रतिनिधि-जिसे वर्णक्रम में उन कम्पनियों में से एक वर्ष के लिए विद्युत मंत्रालय द्वारा नामित किया जाना है ।

(viii)	केन्द्रीय पारेषण यूटीलिटी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी	– सदस्य
(ix)	सदस्य (विद्युत प्रणाली) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण	– सदस्य
(x)	अपर सचिव/संयुक्त सचिव, विद्युत मंत्रालय-विद्युत, पारेषण मामलों का प्रभारी	– सदस्य संयोजक

उपरोक्त (iv) से (vii) तक की श्रेणियों में प्रतिनिधि या तो संगठन के अध्यक्ष होंगे अथवा कम्पनी के बोर्ड में निदेशक होंगे ।

(3) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण फोरम के लिए सचिवालय की व्यवस्था करेगा ।

(4) फोरम प्रत्येक दो माह में कम से कम एक बैठक का आयोजन करेगा । फोरम की बैठकों के कोरम में अध्यक्ष सहित छह सदस्य होंगे ।

(5) फोरम के निम्नलिखित कार्य होंगे :–

(i) देश में विद्युत प्रणाली के विकास हेतु पर्याप्त निवेश आकर्षित करने को सुगम बनाना ।

(ii) अंतरराज्यीय स्तर पर विद्युत ग्रिड के प्रवाह पूर्ण एवं विश्वसनीय प्रचालन को सुगम बनाना ।

(iii) उत्पादन कंपनियों के लिए ग्रिड की संबद्धता तथा पारेषण प्रणाली तक खुली पहुंच को सुगम बनाना ।

(iv) केंद्र सरकार द्वारा इस फोरम को भेजे गए विद्युत प्रणाली के विकास के किसी अन्य पहलू पर मतैक्य बनाना ।

आलोक कुमार, निदेशक